**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या: 935**

**25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**सीजीएचएस स्वास्थ्य केन्द्रों में औषधियों के वितरण में विलंब**

**935. श्री जय प्रकाशः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थियों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की ओर से सीजीएचएस स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा औषधियों की खरीद में अत्यधिक विलंब के कारण होने वाली समस्याओं के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सीजीएचएस स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से रोगियों को वितरित की जाने वाली औषधियों की खरीद के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (घ): सरकार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस)आरोग्य केन्द्रों द्वारा सीजीएचएस लाभार्थियों से औषधियों की खरीद एवं आपूर्ति में अत्यधिक विलंब के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिसके कारण उन्हें समस्या का सामना करना पड़ा है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें सी-डैक द्वारा विकसित नए एप्लिकेशन की शुरुआत के साथ-साथ सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों में मांग की प्रवृत्तियों, औषधियों की खरीद और आपूर्ति की निगरानी और विश्लेषण करने की कार्य-विधियां शामिल हैं। इस डिजिटल प्रणाली से औषधियों की समय पर तथा उपलब्धता और वितरण में वृद्धि होने की अपेक्षा की जाती है, जिससे लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने में सुधार होगा।

सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से औषधियों के प्रापण और वितरण के लिए समयबद्ध प्रक्रियाएं निर्धारित की हैं, जिसका विवरण इस प्रकार है:

i. नियमित दवाएं: सीजीएचएस आरोग्य केंद्रों, केन्द्रीय सरकार चिकित्सा भंडार संगठनों (एमएसओ)/सरकारी चिकित्सा भंडार डिपो (जीएमएसडी) से नियमित रूप से उपयोग की जाने वाली औषधियों का प्रापण करती हैं, जिनकी आपूर्ति केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत मेडिकल स्टोर डिपो (एमएसडी) के माध्यम से की जाती है। इसके अतिरिक्त, जन औषधि दवाओं को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना केंद्र (पीएमजेएवाईके) के तहत अलग से खरीदा जाता है। जन औषधि दवाओं की मांगों का संकलन मासिक आधार पर आरोग्य केंद्रों के स्तर पर किया जाता है और पीएमजेएवाईके के माध्यम से प्रापण के लिए संबंधित जोन के अपर निदेशक (एडी) को भेजा जाता है।

ii. दिल्ली-एनसीआर अनुसूची: दिल्ली-एनसीआर ज़ोन के लिए, एमएसडी से आरोग्य केन्द्रों तक एमएसओ औषधियों की आपूर्ति की अनुसूची सभी जोन के अपर निदेशक (एडी) और संबंधित केंद्रों के साथ साझा की जाती है। इस अनुसूची के अनुसार प्रत्येक सीजीएचएस आरोग्य केंद्र हर 35 दिनों में एक बार औषधियों की आपूर्ति प्राप्त करता है।

iii. प्रतिबंधित औषधियां: इन औषधियों का प्रापण विशेषज्ञ चिकित्सकों के पर्चे के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है। दिल्ली में लाभार्थियों के लिए ऐसी औषधियों की आपूर्ति सीधे एमएसडी दिल्ली से की जाती है। एनसीआर लाभार्थियों के लिए इनकी आपूर्ति नामित नोडल आरोग्य केंद्रों के माध्यम से की जाती है।

iv. इन प्रतिबंधित औषधियों का प्रापण सीधे विनिर्माता से किया जाता है और सामान्य तौर पर दिल्ली स्थित लाभार्थियों के लिए एमएसडी से अगले कार्य दिवस पर आपूर्ति की जाती है और एनसीआर निवासियों के लिए नोडल आरोग्य केंद्रों के माध्यम से 3 से 4 कार्य दिवसों के भीतर आपूर्ति की जाती है। कभी-कभी, प्रतिबंधित औषधियों की आपूर्ति में देरी आपूर्ति श्रृंखला या लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण हो सकती है, क्योंकि उनका प्रापण मामला-दर-मामला आधार पर सीधे तौर पर विनिर्माताओं से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, आरोग्य केन्द्रों पर उपलब्ध औषधियां लाभार्थियों को उसी दिन वितरित की जाती हैं और यदि किसी विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा लिखी गई औषधि आरोग्य केन्द्र में उपलब्ध नहीं होती है तो उसे प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों के माध्यम से इंडेंट किया जाता है जो 48 घंटे के भीतर औषधियों की आपूर्ति करते हैं और ऐसा न करने पर स्थानीय केमिस्ट के साथ हस्ताक्षरित करार ज्ञापन के अनुसार उन पर जुर्माना लगाया जाता है।

******